प्रथम - अपील

(2)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज खेमसिंह बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 163/2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.01.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमसिंह पुत्र गणपतसिंह निवासी शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.11.18 में उसके द्वारा (1) श्रीमान् सूरजकंवर राठौड़ नायब तहसीलदार लूणी महोदय कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लूणी के संबंध में प्रार्थी द्वारा राज. सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत आईडी नं. 06180783867324 की गई थी जिसमें श्रीमान् द्वारा दिनांक 27.07.2018 को जबाब दिया गया कि प्रार्थी शिकायत का हथकंडा अपनाकर अपना कार्य करवाता है वर्ष 2015–16 से 2018–19 तक कितने नीजि कार्य शिकायतों की आड़ में करवाये गये कि नियमानुसार सूचित उपलब्ध करवाने में श्रीमान् सहयोग करावे व अन्य बिन्दओुं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दिये जाने से व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उपखण्ड अधिकारी लूणी) से जरिये पत्रांक 11 दिनांक 09.01.2019 प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी खेमसिंह द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्र कमांक 2029 दिनांक 31.12.19 के द्वारा प्रार्थी स्वयं को दे दी गई है जिसकी छाया प्रति पत्र के सलंग्न प्रेषित है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को सूचना पत्र दिया जा चुका है जिस पर प्रार्थी के प्राप्ति हस्ताक्षर भी है परन्तु यह कार्यवाही अपील दायर होने के पश्चात् की गई जो खेदजनक है अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण विधिक प्रावधानों में निर्धारित अवधि करे । उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।	